

# कार्यालय जिलाधिकारी, मऊ।

पत्रांक

755

जेजेएम(DTU)

/ 02

दिनांक 28/3/26

## आदेश

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक 495/011-जेजेएम (DTU)/26, दिनांक 16.03.2026 के साथ संलग्न मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र सं० 7/2026/493/छिहत्तर-1-2026 (2027542), दिनांक 28.02.2026 के साथ संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० 11031/14/2025 डब्ल्यूक्यू-डीडीडब्ल्यूएस-08, दिनांक 12.01.2026 द्वारा ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण एवं इस हेतु तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जल जीवन मिशन की गाइड लाइन्स के अनुरूप जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं का 10 वर्षों तक संलाचन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्यदायी फर्मों द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नियन्त्रणाधीन किया जाना है।

अतएव भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 12.01.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में पाईप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण तथा तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) का निम्नानुसार गठन किया जाता है।

क्र०सं०	पदनाम	पद
1	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सिविल	अध्यक्ष/संयोजन
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि०/या०	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
5	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
6	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
7	सहायक विकास अधिकारी, पंचायतीराज (तकनीकी)	सदस्य
8	जनपद स्तरीय लैब के कैमिस्ट	सदस्य
9	भूगर्भ जल विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
10	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी सदस्य	सदस्य

जिला तकनीकी इकाई (DTU) के कार्य एवं दायित्व का विस्तृत विवरण उपर वर्णित पत्र में अंकित है। जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिए उत्तरदायी होगी। (DTU) द्वारा नियमित अन्तराल पर बैठक कर योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से तथा जल सेवा आंकलन फार्म से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उसके निवारण हेतु सुझाव दिये जायेंगे।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(प्रवीण मिश्र) 6  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष

DWSM

जनपद-मऊ

प०सं० एवं दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।

- 6- मुख्य अभियन्ता (वारा.क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आजमगढ़।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सिविल, मऊ।
- 9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि०/या०, सोनभद्र।
- 11- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, मऊ।
- 12- जिला पंचायतराज अधिकारी, मऊ।
- 13- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मऊ।
- 14- सहायक विकास अधिकारी, पंचायतीराज (तकनीकी), मऊ।
- 15- जनपद स्तरीय लैब के कैमिस्ट, जल निगम कार्यालय, मऊ।
- 16- भूगर्भ जल विभाग, आजमगढ़।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
DWSM  
जनपद-मऊ

म.ग. मऊ  
EE